न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:— प्रार्थना पत्र संख्या 83 / 2019

निर्णय दिनांक :— 13.1.2020

मुरलीधर पुत्र जगदीशप्रसाद अजमेरिया जाति नाई निवासी हनुमानपार्क के पास, रतनगढ

... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थित:—

1. श्री सतीस मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत रकबा का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 4.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का एक खेत ख.नं. 1794 / 104 तादादी 23 बीघा 08 विश्वा यानि 5.9185 हैक्टेयर भूमि में 03 बीघा यानि 0.758784 हैक्टैयर कृषि भूमि श्यामलाल पुत्र इन्द्रचन्द जाति माली निवासी राजलदेसर से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2017 को खरीद किया था। भूलवश राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं. 2073—2076 में ख.नं. 1794 / 104 की भूमि में प्रार्थी का 3 / 85 हिस्सा दर्ज चली आ रही है। जो नामान्तरकरण सं. 3451 दिनांक 24.6.2017 के आधार पर दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 16.3.2017 के अनुसार प्रार्थी ने 03 बीघा यानि 0.758784 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी। प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

अपना हिस्सा जमाबन्दी में सही करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार संशोधन हेतु निवेदन किया लेकिन संशोधन नही किया है। दिनांक 25.9. 2019 को पुनः निवेदन किया परन्तु वोह स्पष्ट इन्कार हो गये। प्रार्थी के हिस्सा शुद्धिकरण हेतु न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थी का हिस्सा 3/85 यानि 0.20888 हैक्टेयर के स्थान पर 0.758784 हैक्टेयर यानि 03 बीघा संशोधित फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम ख.नं. 1794/104 रकबा 5.9185 हैक्टयेर में से 3/85 हिस्सा नामान्तरकरण सं. 3451 से विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज होकर अकिंत है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थी की ओर से वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि के रकबा में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरकरण सं. 3451 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 3/85 हिस्सा दर्ज हुआ है। धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम में लिपिकीय भूल सुधार की जा सकती है। प्रार्थी का हिस्सा जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुआ है, जो लिपिकीय भूल नही मानी जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधी में नही आता है। अतः खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत खेत ख.नं. 1794/104 रोही कस्बा राजलदेसर के रकबा में संशोधन हेतु खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: